

¹[प्ररूप 2ड]

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से(राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

²[भाग 1]

हम(राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिएनिर्वाचन-क्षेत्र से अधिकारी के रूप में निम्नलिखित
नामनिर्देशित करते हैं :—
अधिकारी का नाम(पिता/माता/पति का नाम)..... उसका डाक पता
उसका नामविधान सभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं०में क्रम सं०
पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नामपरिषद् निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि
नियम उपर्युक्त किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :
प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग में क्रम सं०		
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
*10.				

* प्रस्थापक निर्वाचन-क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिए ।

मैं, ऊपरिवर्णित अधिकारी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :—

- (क) मैंनेवर्ष की आयु पूरी कर ली है ;
- (ख) मैं इस निर्वाचन मेंदल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ ;
- (ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ; और
- (घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैंपरिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से(राज्य)
की विधान परिषद् के रिकूट स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अहित हूँ और निर्दिष्ट नहीं हूँ ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद् के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए¹ किसी अधिकारी के रूप में नामनिर्देश नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊँगा ।

तारीख.....

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

* जो लागू न हो, उसे काट दें ।

¹ अधिसूचना सं० का० आ० 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2ड के स्थान पर प्रतिरक्षित ।

² अधिसूचना सं० का० आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹[भाग 2
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है : या

हाँ/ नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दिलत किया गया है

कि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याक...
(ii) पुलिस थाना (थाने)... जिला(जिले)... राज्य...
(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था...
(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें)...
(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था...
(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपर्युक्त करें ...
(vii) काशगार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)...
(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं
(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशेषियां...
(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....
(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....
(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—
(क) निपटारे की तारीख(तारीखें)...
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).

रेग्न :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

तारीख

¹ अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित।

¹[भाग 3]

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं0

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में (तारीख) को (बजे) अध्यर्थी/प्रस्थापक (नाम) द्वारा परिदृष्ट किया गया ।

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)

¹[भाग 4]

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विविधत्य

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विविधत्य करता हूँ :—

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)

¹[भाग 5]

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक को, जो राज्य की विधान रामा के लिए निर्वाचन हेतु स्नातकों/अध्यापकों/स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में (तारीख) को (बजे) अध्यर्थी/प्रस्थापक (नाम) द्वारा परिदृष्ट किया गया है । सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (तारीख) को (बजे) (रात) में की जाएगी ।

तारीख

रिटर्निंग आफिसर]

टिप्पण :— जहां अनुकूल दिया गया है, वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

¹ अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।